

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा —

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 604 / 2023 दिनांक 17.02.2023

श्री राजेश गुप्ता (RJ0344), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, बारां को दिनांक 16.01.2023 से 27.01.2023 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.01.2023 से 15.01.2023 एवं 28.01.2023 से 29.01.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, बारां/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बारां ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, बारां के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

16.02.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/49/2000/1338

दिनांक : 17.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, बारां को उनके पत्रांक 11 दिनांक 30.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राजेश गुप्ता (RJ0344), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, बारां ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, बारां ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बारां ।


17.2.2023
सहायक रजिस्ट्रार